

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 39/2019 (RCMS : 2019/00067)

कृष्णलाल पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी बरुवाला चक 19 एपीडी
तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर



बनाम

1. राजाराम पुत्र भागाराम जाति सिद्ध निवासी कालूसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. सोहनलाल पुत्र चानणराम जाति ब्राह्मण निवासी 165 आरडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. बलवीर पुत्र अन्नाराम जाति सिद्ध निवासी कालूसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
4. महावीर पुत्र गांग सिंह जाति राजपूत निवासी 165 आर.डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. राजाराम पुत्र रामकिशन जाति सिद्ध निवासी 165 आर डी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
6. रामस्वरूप पुत्र रामकिशन जाति सिद्ध निवासी 165 आरडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
7. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव बरुवाला चक 19 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
8. रामकुमार पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण कुम्हारवाला चक तकसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
9. कलावती पत्नी बृजलाल पुत्री नन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिल सिरसा (हरियाणा)
10. राप्यारी पुत्री उदमीराम जाति ब्राह्मण निवासी कुम्हारवाला चक तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
11. कौशल्या पत्नी भीखाराम } अकवाम ब्राह्मण निवासीयान कुम्हारवाला
12. मंगेश पुत्र भीखाराम } चक तहसील ऐलनाबाद
13. सुनील पुत्र भीखाराम } जिला सिरसा (हरियाणा)
14. रोशनी पत्नी सत्यदेव पुत्री त्रिलोकाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
15. सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ
16. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

03.04.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं. 134/2018 अनवानी राजाराम वगैरहा बनाम ओमप्रकश वगैरहा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला क्लर्क
श्रीगंगानगर